संख्या-103/2016/2088/सैंतीस-2-2016-1(47)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 अक्टूबर, 2016

विषयः- **नेशनल लाइवस्टाक मिशन में रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-56/एन.एल.एम./कुक्कुट/2014-15, दिनांक-24.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि में से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश रू0-126.12375 लाख में राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल रू0-168.17 लाख (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश की जारी की जा रही है।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. लाभार्थी को धनराशि उसके बैंक खाते में ही उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
6. इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-103/2016/2088(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (एपीएफ)/संयुक्त आयुक्त (पोल्ट्री), पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in